समाचार.प्रकाषनार्थरू.

स्वच्छता कार्य में ओर अधिक गति लायें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देष

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर स्वच्छता कार्य में ओर अधिक तेजी लाये जाने के निर्देष दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सफाई कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देषित किया कि सीवरेज होम कनेक्षन के पष्चात सूख चुकी नालियों में किसी प्रकार का कचरा ना हो साथ ही गीली नालियों में भी किसी प्रकार से गीला कचरा ना रहे इसका विषेश ध्यान रखा जाये। साथ ही उन्होने निर्देषित किया षहर के मुख्य मार्गो की सफाई प्रातः दोपहर व रात्री में प्रतिदिन नियमित रूप से की जाये व सड़क के किनारोए फुटपाथ व डिवाईडरो के आस पास कचरा व मिट्टी की पुरी तरह से सफाई कराई जाये तथा जहां आवष्यकता हो वहां ट्रीटेड वॉटर से धुलाई करवाई जाये।

इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि नगर के 101 ऐसे उद्यान जहां औशधिय पौधो का रोपण किया गया है वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से करवाई जाये।

बैठक में उन्होने कहा कि सीवरेज के ट्रीटेड वॉटर का रियूज भवन निर्माण कार्यो में अधिक से अधिक हो इसलिये झोन प्रभारी अपने.अपने क्षेत्र में कमर्षियल ट्यूबवेलो का सर्वे कर सूची प्रस्तुत करें ताकि उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमण्केण जैनए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए ब्रजेष कुषवाहए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए झोन प्रभारी व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

ट्रीटेड वॉटर का निर्माण कार्यो में उपयोग कर भू.जल स्तर का बचायें

10ण्80 लाख लीटर ट्रीटेड वॉटर का हुआ रियूज

रतलाम 25 फरवरी । सीवरेज योजना के करमदी व खेतलपुर एसटीपी प्लांट में सीवरेज वॉटर को ट्रीटेड किया जाकर नगर निगम द्वारा उसका रियूज किया जा रहा है जिसके तहत 8 दिनों में करमदी एसटीपी प्लांट से 5ण्30 लाख व खेतलपुर एसटीपी प्लांट से 5ण्50 लाख लीटर पानी का रियूज करते हुए नगर निगम के उद्यानों में सिंचाईए आग बुझाने हेतु फायर लॉरी मेंए वाहनों की धुलाईए रोड डिवाईडरों की सफाई व डिवाईडर में लगे पौधो में सिंचाई के कार्य में उपयोग लिया गया।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सिविल कार्य के ठेकेदारए भवन निर्माण करने वाले नागरिक आदि से अपील की है कि वे भवन निर्माण कार्य में ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए नगर निगम के खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट से 50६ प्रति किलोलीटर के मान से ट्रीटेड वॉटर क्रय करके भवन का निर्माण करें जिससे ट्रीटेड वॉटर का रियूज हो सकें व भू.जल स्तर को भी बचाया जा सकें।

भवन व व्यावसायिक प्रतिश्ठान नपती के दौरान अधिक क्षेत्रफल पाये जाने पर 5 गुना षास्ति के साथ भरना होगा संपत्तिकर

बाबुलाल लुणावत व बद्रीलाल अमरा को 14 व 10 लाख के बिल जारी

रतलाम 25 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार संपत्तिकर विभाग के अमले द्वारा नगर में 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिश्ठानोंए भवनों की नपती की जा रही है जिसके तहत विवरणी में दर्षाये गये क्षेत्रफल से अधिक का एरिया पाये जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना षास्ति के साथ दिया जा रहा है।

संपत्तिकर विभाग द्वारा 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिश्ठानोंए भवनों की नपती के तहत करमदी रोड क्षेत्र मंे बद्रीलाल अमराजी के भवन का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर 5 गुना षास्ति के साथ राषि रूपये 10ए 37ए 381द्ध व गफ्फुर मार्ग क्षेत्र में बाबुलाल.मिश्रीमल लुणावत लुणावत मार्केट का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर 5 गुना षास्ति के साथ राषि रूपये 14ए76ए573द्ध का बिल निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार दिया गया है।

षहर के चार स्थानों से हटाया अतिक्रमण

रतलाम 25 फरवरी । नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने 25 फरवरी को माणक चौक क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रारंभ करते हुए महालक्ष्मी मंदिर से गणेष देवरी तक 40 दुकानों के सामने बने ओटलेए टीन षेड को हटाया गया व दुकानों के बाहर रखे समान को हटाते हुए 10 ठेलागाड़ियों को भी हटाया।

इसके अलावा डाट की पुल से डीआरएम ऑफिस तक होटल व दुकानदारों द्वारा सड़क व फुटपाथ पर रखी सामग्री को हटाते हुए दो बत्ती क्षेत्र में जीण्डीण अंकलेसरिया द्वारा भवन निर्माण सामग्री व मलबे को जब्त किया गया। इसके अलावा प्रताप नगर ब्रीज से ठेलागाड़ी को जब्त किया गया।

उक्त कार्यवाही अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देषन में की गई इस अवसर पर नगर निगम इंजीनियर व पुलिस प्रषासन उपस्थित था।

नेषनल लोक अदालत का 12 मार्च षनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राषि जमा करने पर अधिभार ;सरचार्जद्ध की राषि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 25 फरवरी । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट

देने हेतु 12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12ध्03ध्2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा

जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 27ण्21 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 25 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 25 फरवरी षुक्रवार को कुल राषि रूपये 27ए21ए854ध् का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 25 फरवरी षुक्रवार को संपत्तिकर षिविर से 55362ए कार्यालय 393726 कुल 449088ए जलकर षिविर 67140ए कार्यालय 159285ए वसूली दल 102850 कुल 329275ए स्पॉट फाईन 7400ए लायसेंस 11780ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 6467 वसूली दल 259528 कुल 265995ए लीजरेंट 125281 व कम्पाउडिंग फीस 1533035 इस तरह कुल राषि रूपये 27ए21ए854ध् का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

25 फरवरी को 88 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 25 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 25 फरवरी षुक्रवार को 88 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

25 फरवरी षुक्रवार को डम्पर से 37990ए टेª क्टर से 13170ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 11945ए काम्पेक्टर गीला कचरा 22270ए मैजिक सूखा कचरा 1675ए मैजिक गीला कचरा 1340 किलो इस तरह कुल 88390 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

16 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 25 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 11 व दोपहर में 8 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

25 फरवरी षुक्रवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में निलेष.महेषए षांतिलाल.बाबुलालए महेष.पंचमए कमल.दुलीचन्दए बरखा पति सुरेषए झोन क्रमांक 2 में महेन्द्र.नेहरूए षकुन्तलाबाई पति अर्जूनए झोन क्रमांक 3 मंे धर्मेन्द्र.रामचन्द्रए रीनाबाई पति दिनेषए झोन क्रमांक 4 में भारत.रामलालए दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में मोहन.मांगीलालए झोन क्रमांक 2 में सरवन.प्रकाषए उशाबाई पति अषोकए झोन क्रमांक 3 में धर्मेन्द्र.रामचन्द्रए रीनाबाई पति दिनेषए झोन क्रमांक 4 में बबीताबाई पति विक्रम इस तरह 16 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 25 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत 24 फरवरी को बालाजी रेस्टोरेंटए मौर्य नमकीन पावर हाउस रोडए राजेन्द्र चाट सेंटर व राधाबाई सोलंकी अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 500.500 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 25 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टे्षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे्षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000 एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500 प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100 रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दो बत्ती पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 89ण्59 **लाख व जलकर** 22ण्92 **लाख की बकाया राषि जमा कराई**

रतलाम 25 **फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो** 03 **मार्च** 2022 **तक चलेंगे।**

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए **जलकर**ए **दुकान**ए **गुमटी किराया**ए **लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।**

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822द्ध **व जलकर** 54ए850द्ध.ए **मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए575द्ध **व जलकर** 34ए520द्ध.ए **जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 3ए02ए013द्ध **व जलकर** 63ए450द्ध.ए **विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए85ए292द्ध **व जलकर** 1ए19ए720द्ध.ए **अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर** 3ए20ए857द्ध **व जलकर** 62ए950द्ध.ए **तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए28ए977द्ध **व जलकर** 28ए870द्ध.ए **कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए16ए000द्ध **व जलकर** 14ए000द्ध.ए **इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर** 2ए51ए600द्ध **व जलकर** 1ए04ए640द्ध.ए **कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 8ए61ए206द्ध **व जलकर** 1ए21ए090द्ध.ए **प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए14ए000द्ध **व जलकर** 47ए000द्ध.ए **डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए54ए422द्ध **व जलकर** 83ए700द्ध.ए **हाट रोड षिविर में संपत्तिकर** 1ए71ए500द्ध **व जलकर** 27ए540द्ध.ए **कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए96ए281द्ध **व जलकर** 40ए240द्ध.ए **राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए45ए000द्ध **व जलकर** 31ए760द्ध.ए **काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर** 3ए36ए077द्ध **व जलकर** 72ए440द्ध.ए **वेदव्यास**

कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534ध **व जलकर** 37ए465ध्ए **कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए732ध **व जलकर** 36ए660ध्ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455ध **व जलकर** 92ए125ध्ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298ध **व जलकर** 64ए770ध्ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241ध **व जलकर** 28ए140ध्ए **लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर** 6ए11ए920ध **व जलकर** 1ए56ए600ध्ए **धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर** 3ए60ए338ध **व जलकर** 1ए67ए280ध्ए **किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर** 3ए89ए541ध **व जलकर** 76ए625ध्ए **आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए20ए807ध **व जलकर** 37ए520ध्ए **प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए91ए836ध **व जलकर** 72ए860ध्ए **महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए741ध **व जलकर** 37ए140ध **पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर** 2ए81ए036ध **व जलकर** 89ए570ध्ए **चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 91ए157ध **व जलकर** 46ए510ध्ए **सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए036ध **व जलकर** 1ए05ए060ध्ए **चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर** 5ए20ए421ध **व जलकर** 1ए62ए610ध्ए **बजाजखाना षिविर में संपत्तिकर** 3ए19ए606ध **व जलकर** 98ए030ध्ए **षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर** 4ए48ए489ध **व जलकर** 1ए10ए940ध्ए **दो बत्ती षिविर में संपत्तिकर** 55ए362ध **व जलकर** 67ए140ध **की राषि जमा कराई।**

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 33 **व** 34 **के लिये** 26 **व** 28 **फरवरी को दो बत्ती चौराहा**ए **वार्ड क्रमांक** 30ए 31ए 32 **व** 34 **के लिये** 1 **से** 3 **मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।**

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 25 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 25 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 25 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण

प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 25 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की

जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्25ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण